भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1991

उत्तर देने की तारीख : 11.02.2026

छात्रवृत्तियां प्रदान करने में विलंब

1991. श्री बैन्नी बेहनन:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई राज्यों में प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक और योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्तियां प्रदान करने में कई महीने लग रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विलंब के क्या कारण हैं और निधि की कमी या पोर्टल में तकनीकी समस्याओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान छात्रवृत्ति न मिलने के कारण राज्यवार कितने छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी; और

(घ) सरकार द्वारा छात्रवृत्तियां समय पर देना सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए या उठाए जाने वाले सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय देश भर में छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षणिक सशक्त‍ीकरण हेतु मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं सहित विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन करता है। हालांकि, इन योजनाओं को 2021-22 के बाद से कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित नहीं किया गया है।

(घ): छात्रवृत्ति योजनाओं के कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से मंत्रालय द्वारा विभिन्न सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं, जैसे:
(i) आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रणाली; (ii) छात्रवृत्ति राशि के संवितरण हेतु आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम (APBS) को अनिवार्य किया गया है; (iii) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रवेश हेतु वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) को अनिवार्य किया गया है।

*****